मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7/10/2014

क्रमांक एफ -5(ए)/1/2013/ई/चार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-7 (56)/2013/1-7/स्था-3, दिनांक 13 जून, 2013 व्दारा 10 विभागों में वित्तीय सलाहकार प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर प्रशासकीय विभाग को निम्नांकित अधिकार एतद व्दारा प्रत्यायोजित किये जाते हैं : -

(I) बजट से समर्पित राशि के आदेश जारी करना।

(II) वित्त विभाग के आदेश क्र. 2-2/2013/नियम/चार, दिनांक 19.3.2013 के व्दारा कतिपय मामलों में आदेश वित्त विभाग के माध्यम से पृष्ठांकित किये जाने के अधिकार । यह पृष्ठांकन वित्तीय सलाहकार व्दारा जारी किये जायेंगे।

(III) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1032/आर 613/2007/ब-1/चार, दिनांक 25.6.2012 अनुसार स्वीकृत अस्थाई पदों की निरंतरता जारी करना।

(IV) वित्त विभाग के आदेश क्र. 442/516/बजट-1/2010 एवं 565/516/बजट-1/2010 दिनांक 30.4.10 एवं 8.6.10 के व्दारा आयोजना में त्रैमासिक बजट के अंतर्गत किसी त्रैमास में अव्ययित राशि को अगले त्रैमास में व्यय करने की अनुमति दिया जाना।

(V) मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के प्रावधानों के अनुसार विभाग के अंतर्गत खोले गए व्यक्तिगत जमा खाता के निरंतरता की स्वीकृति।

(VI) राज्य शासन व्दारा जिन मदों में व्यय की सीमा निर्धारित की गई है, उन मदों में निर्धारित सीमा से 25 प्रतिशत अधिक व्यय तक की अनुमति। उदाहरणस्वरुप टेलीफोन, पेट्रोल आदि।

(VII) विभाग के अंतर्गत स्वीकृत पदों का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के अधिकार।

(VIII) दिनांक 1.4.2013 के बाद नीलाम किये गये वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरुप वाहन क्रय की अनुमति बशर्ते वाहन चालक उपलब्ध हो।